(1)

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या : 1059/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

लखनऊ, दिनांक : 06 जून, 2016

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विषय : उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 13 सदस्यों, जो दिनांक 06 जुलाई, 2016 को एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के 11 सदस्यों, जो दिनांक 04 जुलाई, 2016 को रिटायर हो रहे हैं, के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन होगें। अतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-69 के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि इस निर्वाचन से सम्बन्धित मतदान क्रमशः दिनांक 10 एवं 11 जून, 2016 को तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में 09.00 बजे पूर्वाह्न और 04.00 बजे अपराह्न के बीच होगा।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1059/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

प्रतिलिपि-निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-35 विधान सभा (61)-6-6-2016-500 प्रतियां।

(2)

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या : 1060/वि0स0/प0का0/42(प)/2016
लखनऊ, दिनांक : 6 जून, 2016

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
सहायक रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/
मतदान अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता।

विषय : उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों हेतु मतदान स्थल एवं गणना स्थल पर अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं द्वारा लाये जाने वाले सेल्यूलर फोन एवं पेजर से मतदान एवं गणना के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 10 एवं 11 जून, 2016 को मतदान एवं गणना स्थल "तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ" में सेल्यूलर फोन एवं पेजर न लाने का कष्ट करें।

भवदीय,

अशोक कुमार सिंह,
सहायक रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-36 विधान सभा (62)-6-6-2016-200 प्रतियां।

(3)

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या : 1061/वि0स0/प0का0/42(प)/2016
लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2016

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर,
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विषय :--उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016.

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के रिक्त 13 (तेरह) स्थानों की पूर्ति हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 शुक्रवार, दिनांक 10 जून, 2016 को एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के रिक्त 11 (ग्यारह) स्थानों की पूर्ति हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 शनिवार, दिनांक 11 जून, 2016 को होगा। उक्त निर्वाचनों में मतदान के अवसर पर मतों की रिकार्डिंग के लिये अनुदेश की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

(4)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन पर मतों की रिकार्डिंग के लिये अनुदेश

क-मतदान का तरीका-

1-मतदान के प्रयोजन के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिये गये बैगनी स्केच पेन का केवल प्रयोग कीजिये जो कि आपको मत-पत्र के साथ दिया जायेगा। किसी अन्य पेन, पेन्सिल, बाल प्वाइन्ट पेन या किसी अन्य मार्किंग यंत्र का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे आपका मत-पत्र अमान्य हो जायेगा।

2-उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे आप अपनी पहली वरीयता देकर चुनना चाहते हैं, किये गये "वरीयता का क्रम" चिन्हित स्तम्भ में "1" अंक रखते हुए मत दें। यह "1" अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जायेगा।

3-यद्यपि निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो भी "1" अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जायेगा।

4-आपको निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर विचार किये बिना जितने निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उतनी वरीयता है। उदाहरणार्थ यदि पांच निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, केवल दो का निर्वाचन होना है आप अपनी पसन्द के अनुसार अपनी वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों के सामने 1 से 5 तक वरीयता चिन्हित कर सकते हैं।

5-बाकी उम्मीदवारों के लिये आप अपनी वरीयता ऐसे उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये "वरीयता के क्रम" चिन्हित स्तम्भ में अपनी वरीयता के क्रम में अनुवर्ती अंक 2, 3, 4 आदि लिखकर दर्शायें।

6-यह सुनिश्चित करें कि आप किसी उम्मीदवार के नाम के सामने एक अंक ही लिखें यह भी सुनिश्चित करें कि वही अंक एक से अधिक उम्मीदवारों के नामों के सामने न लिखा जाये।

7-वरीयता केवल अंक अर्थात् 1, 2, 3 आदि में दर्शायी जाये एक, दो, तीन आदि में न दर्शायी जाये।

8-अंकों को भारतीय अंकों जैसे 1, 2, 3 आदि या रोमन रूप में I, II, III आदि का देवनागरी रूप १, २, ३ या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिन्हित किये जा सकते हैं।

9-मत-पत्र पर अपना नाम या कोई शब्द न लिखें या अपने हस्ताक्षर या आद्याक्षर न लिखें अपने अंगूठे की छाप भी न लगायें। इससे आपका मत-पत्र अमान्य हो जायेगा।

10-अपनी वरीयता दर्शाने के लिए अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के सामने " √" या "×" जैसे चिन्ह लगाना काफी नहीं है। ऐसे मत-पत्र खारिज कर दिये जायेंगे। अपनी वरीयता जैसा ऊपर बताया गया है केवल "1", "2", "3" आदि अंकों द्वारा दर्शायें।

11-अपना मत-पत्र मान्य करने के लिए यह आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के सामने "1" अंक लिखते हुए अपनी पहली वरीयता दर्शायें। अन्य वरीयतायें वैकल्पिक हैं अर्थात् दूसरी अनुवर्ती वरीयतायें आप दर्शायें या न दर्शायें।

"इनमें से कोई नहीं" (नोटा) के विकल्प का प्राविधान :-

12-(i) नोटा के सामने चिन्हांकन अंक 1, 2, 3 आदि लिखकर किया जायेगा जैसा कि अभ्यर्थियों के लिए वरीयता चिन्हित करने के मामले में किया जाता है, अर्थात् भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या किसी भारतीय भाषा में या रोमन रूप में।

(ii) यदि वरीयता '1' नोटा के प्रति चिन्हित की जाती है तो उस पर किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने के मामले के रूप में कार्रवाई की जाएगी और ऐसा मत-पत्र उस परिस्थिति में भी अविधिमान्य माना जाएगा जब '1' नोटा के प्रति चिन्हित किये जाने के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यर्थी के सामने भी चिन्हित किया गया हो।

(iii) यदि पहली वरीयता किसी एक अभ्यर्थी के सामने विधिमान्य रूप से चिन्हित की गयी हो और दूसरी वरीयता नोटा के प्रति चिन्हित की गयी हो तो ऐसे मत-पत्र उस अभ्यर्थी के लिए विधिमान्य माने जाएंगे जिसके लिए पहली वरीयता चिन्हित की गयी हो बशर्ते उसे नियम-73(2) के अन्तर्गत अविधिमान्य करने का कोई आधार नहीं हो। ऐसे मामले में, दूसरी वरीयता की जांच करने के चरण में मत-पत्र समाप्त के रूप में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि दूसरी वरीयता नोटा के प्रति चिन्हित की गयी है। इसी तरह यदि पहली एवं दूसरी वरीयता प्रत्येक एक

अभ्यथी के प्रति विधिमान्य रूप से चिन्हित की गयी हो और 'तीसरी' वरीयता नोटा के प्रति चिन्हित की गयी हो तो मत-पत्र पहली गणना के लिए तथा 'दूसरी' वरीयता के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य माना जाएगा, परन्तु, 'तीसरी' वरीयता की जांच करने के चरण पर यदि ऐसा चरण आता है तो मत-पत्र समाप्त माना जाएगा। ये अनुदेश अनुवर्ती वरीयताओं के लिए भी लागू होंगे।

(iv) यदि पहली वरीयता और अनुवर्ती वरीयताएं, यदि कोई हैं, अभ्यर्थी के प्रति विधिमान्य रूप से चिन्हित की गयी हैं तथा नोटा के सामने क्रॉस/सही का निशान चिन्हित किया गया है तो मत-पत्र केवल इसी आधार पर अविधिमान्य मानकर अस्वीकृत नहीं किया जायगा और अभ्यर्थियों के सामने चिन्हित वरीयताओं पर विचार किया जाएगा और तद्नुसार गणना की जाएगी। हालांकि, नियमों के सामान्य उपबंध और प्रतीकों से संबंधित आयोग के अनुदेश, जिनसे मतदाता की पहचान हो सकती है, नोटा विकल्प के सामने चिन्ह के मामले में लागू होंगे, और यदि आर0ओ0 का ये मानना है कि उसमें लगाया गया चिन्ह नियम-73(2)(घ) के अर्थ के भीतर मतदाता की पहचान की तरफ तर्कसंगत रूप से इशारा करता है तो वह उस आधार पर मत-पत्र को अस्वीकृत किये जाने का भागी बनाएगा।

ख-अमान्य मत-पत्र :--

वह मत-पत्र अमान्य होगा, जिस पर--

1-अंक "1" चिन्हित नहीं किया गया है;

2-एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने "1" अंक रखा गया है;

3-अंक "1" इस प्रकार रखा गया हो, जिससे यह भ्रम हो कि यह किस अभ्यर्थी को देने के इच्छुक हैं;

4-एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंक "1" और कोई अन्य अंक 2, 3 आदि भी लगाये गये हों;

5-वरीयतायें अंकों के स्थान पर अक्षरों में दर्शायी गयी हों;

6-वहां कोई चिन्ह या कुछ लिखा हुआ हो जिसके द्वारा निर्वाचक की पहचान हो सके; और

7-उसमें बैगनी स्केच पेन, जिसकी पूर्ति ऐसे आंकड़े चिन्हित कराने के प्रयोजन के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा की गयी है, के अतिरिक्त अन्य किसी से चिन्हित किये गये कोई अंक।

INSTRUCTIONS FOR RECORDING OF VOTES AT BIENNIAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE COUNCIL OF UTTAR PRADESH/COUNCIL OF STATES

A. METHOD OF VOTING :--

1. For the purpose of voting use only the violet sketch pen supplied by the Returning Officer, which will be handed over to you along with the ballot paper. Do not use any other pen, pencil, point ball pen or any other marking instrument as that will invalidate your ballot paper.

2. Vote by placing the figure "1" in the column marked "order of preference" provided opposite the name of the candidate whom you choose as you first preference. this figure "1" shall be placed opposite the name of only one candidate.

3. Even if the number of candidate to be elected is more than one the figure (1) shall be put opposite the name of only one candidate.

4. You have as many preferences as there or contesting candidate irrespective of the number of candidates to be elected. For example if there are five contesting candidates and only two are to be elected you can mark preference form 1 to 5 against the candidates of your choice in order of your preference.

5. Indicate Your further preference for the remaining candidates by placing in the column marked order of preference provided opposite the names of such candidates the subsequent figures 2, 3, 4 etc. in the order of your preference.

6. Make sure that you put only one figure opposite the name of any candidate and also make sure that the same figure is not put opposite the names of more than one candidate.

7. Preference shall be indicated in figures only i.e. 1, 2, 3 etc. and shall not be indicated in word one, two, three etc.

8. figures may be marked in the international form of Indian numerals like 1, 2, 3 etc. or in the Roman form I, II, III etc. or in Devnagari form 1, 2, 3 or in the form used in any Indian Language recognised in Schedule VIII of the Constitution.

9. Do not write your name or write any words or put your signature or initials on the ballot paper. Also do not put your thumb impression these will make your ballot paper invalid.

10. It is not sufficient to put a mark " √" or "×" against the candidate of your choice to indicate your preference. Such ballot papers will be rejected. Indicate your preferences only in figures "1", "2", "3" etc. as explained above.

11. To make your ballot paper valid, it is necessary that you should indicate your first preference by placing figure '1' against one of the candidates. The other preference are optional i.e. you may not indicate the second and subsequent preference.

Provisions for None of the Above (NOTA):-

12. (i) Marking against NOTA shall be by way of writing figure 1, 2, 3 etc. as in th case of marking preferneces for candidates,i.e. in international form of Indian numerals or in the roman form or in any Indian language;

(ii) If preference '1'is marked against NOTA , it shall be treated as the case of not voting for any of the candidates and such ballot shall be treated as invalid, even if '1' is also marked against any other candidate in addition to being marked against NOTA.

(iii) If '1' preference is validly Marked against one of the candidates and second differences mark against NOTA, such ballot paper shall be treated as valid for the candidate for whom1st prefernce has been marked, provided there is no other ground to invalidate it, under rule 73(2). In such case, at that stage of examining 2nd preference, the ballot paper shall be treated as exhausted as the 2nd preference is marked against NOTA. Similarly, if 1st and 2nd preferences are validly marked against a candidate each and 3rd preference is marked against NOTA, the ballot shall be valid for the first count and for the purpose of the 2nd preference, but, at this stage of examining the 3rd preference, if such stage comes, the ballot shall be treated as exhausted. These instructions shall apply for subsequent preferences also.

(iv) If 1st preference and subsequent preferences, if any, are validly marked against the candidates and cross/tick is marked against NOTA, the ballot paper shall not been rejected as invalid only on this ground, and the preferences mark against the candidate shall be considered and counted accordingly. However, the general provisions of the rules and the commission's instructions regarding marks that me identify the voter shall apply in the case of the mark against NOTA option, and if the RO considers that the mark put therein reasonably points towards identification of the voter within the meaning of rule 73(2)(D), that would render the ballot liable to rejection on the ground.

B. INVALID BALLOT PAPERS :-

A ballot paper shall be invalid on which—

1. the figure "1" not marked;
2. the figure "1" is set opposite the name of more than one candidate;
3. the figure "1" is so placed as to render it doubtfull to which candidate it is intended to apply;
4. the figure "1" and some other figures like 2, 3, etc. are also set opposite the name of the same candidate;
5. the preferences are indicated in words instead of in figures;
6. there is any mark or writing by which the elector can be identified ; and
7. there is any figure marked otherwise than with the violet sketch pen supplied by the Returning Officer for the prupose of marking such figures.

P.S.U.P.-L. 37 L.A. (63)—06-06-2016—500 (Computer).

(9)

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 1062/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2016

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विषय :--उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 में मतदान-गोपनीयता बनाये रखना।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम-70 के साथ पठित 39क एवं 39कक की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना है कि आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/राज्य सभा के आगामी निर्वाचनों में मतदान करते समय पोलिंग स्टेशन के भीतर उक्त नियमों के अनुसार मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की कृपा करें। उक्त नियम-39क एवं 39कक की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1062(1-2)/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :--

1-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001,

2-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

(17)

निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 का नियम-39-क/39-कक

39-क-निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान प्रक्रिया-

(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 38-क या इन नियमों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मत-पत्र दिया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक मत-पत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण-

(क) मतदान कोष्ठकों में से एक में जायगा;

(ख) नियम-37-क के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत, उस प्रयोजन के लिये दिये गये उपकरण से अभिलिखित करेगा;

(ग) मत-पत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाय, मत-पत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न पीठासीन आफिसर दर्शित करेगा;

(ङ) मुड़े मत-पत्र को मत पेटी में डालेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत-पत्र दिया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से, पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, इंकार करे तो उसे दिया गया मत-पत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मत-पत्र वापस लिये जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सब मत-पत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर "मत-पत्र : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे।

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मत-पत्र वापस ले लिया गया है, दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत यदि ऐसे मत-पत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जायेगा।

(12)

[39कक. मत देने के बारे में सूचना--(1) नियम-39क में किसी बात के होते हुए भी, पीठासीन आफिसर, उस अवधि के दौरान जब कोई निर्वाचक किसी राजनैतिक दल का सदस्य होते हुए मत-पत्र पर अपना मत अभिलिखित करता है और उससे पूर्व जब ऐसा निर्वाचक मत-पत्र को मतपेटी में डालता है, उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सत्यापित करने के लिये अनुज्ञात करेगा कि ऐसे निर्वाचक ने अपना मत किसे दिया है :

परन्तु यदि ऐसा निर्वाचक अपने राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को अपना चिन्हित मत-पत्र दिखाने से इंकार करता है तो उसे दिया गया मत-पत्र पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निदेश के अधीन मतदान आफिसर द्वारा वापस ले लिया जायेगा और इस प्रकार वापस लिये गये मत-पत्र पर नियम-39क के उपनियम (6) से उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट रीति में आगे इस प्रकार कार्रवाई की जायेगी मानो ऐसा मत-पत्र उस नियम के उपनियम (5) के अधीन वापस लिया गया था।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल, जिसका सदस्य निर्वाचक के रूप में किसी मतदान केन्द्र पर मत देता है, उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये, प्ररूप 22-क में दो प्राधिकृत अभिकर्ता नियुक्त करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकृत अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर सम्पूर्ण मतदान के घण्टों में उपस्थित रहेगा और दूसरा उसे तब मुक्त करेगा जब वह मतदान केन्द्र से बाहर जाता है या विपर्येन।]

Rule 39-A, 39-AA of the Conduct of Elections Rule, 1961

39-A Maintenance of secrecy of voting by electors within Polling Station and Voting Procedure:-

(1) Every elector, to whom a ballot paper has been issued under rule 38-A or under any other provision of these rules, shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith-

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) record his vote in accordance with sub-rule (2) of rule 37-A with the article supplied for the purpose;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

(d) if required, show to the presiding officer, the distinguishing mark on the ballot paper;

(e) insert the folded paper into the ballot box ; and

(f) quit the Polling Station.

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

(5) If an elector to whom a ballot paper has been issued, refuses after warning given by the presiding officer to observe the procedure as laid down in sub-rule (2), the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer.

(6) After the ballot paper has been taken back, the presiding officer shall record on its back the words "Cancelled: voting procedure violated" and put his signature below those words.

(7) All the ballot papers on which the words "Cancelled: voting procedure violated" are recorded, shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers: voting procedure violated".

(8) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable, vote, if any, recorded on such ballot paper shall not be counted.

(134)

[39AA Information regarding casting of votes- (1) Notwithstanding anything contained in rule 39A, the Presiding Officers shall, between the period when an elector being a member of a political party records his vote on a ballot paper and before such elector inserts that ballot paper into the ballot box, allow the authorised agent of that political party to verify as to whom such elector has cast his vote:

Provided that if such elector refuses to show his marked ballot paper to the authorised agent of his political party, the ballot paper issued to him shall be taken back by the presiding office or a polling officer under the direction of the presiding officer and the ballot paper so taken that shall then he further dealt with in the manner specified in sub-rules (6) to (8) of rule 39A as if such ballot paper had been taken back under sub-rule (5) of that rule.

(2) Every political party, whose member as an elector casts a vote at a polling station, shall for the purposes of sub-rule(1), appoint, inform 22A, two authorised agents.

(3) An authorised agent appointed under sub-rule (2) shall be present throughout the polling hours at the polling station and the other shall relieve him when he goes out of the polling station or vice versa.]

P.S.U.P.- L. 38 L.A. (64)—6-6-2016—500 (Computer).

(15)

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या : 1063/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

विधान भवन, लखनऊ,
दिनांक : 06 जून, 2016

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त माननीय निर्वाचकगण,
उत्तर प्रदेश विधान सभा।

विषय : उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के परिपत्र संख्याः 1059/वि0स0/प0का0/42(प)/2016 दिनांक 06 जून, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त निर्वाचनों में मतदान हेतु निर्वाचक की पहचान के लिए विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किये गये परिचय-पत्र को मान्यता प्रदान की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 10 एवं 11 जून, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 में मतदान हेतु अपना उपर्युक्त परिचय-पत्र अवश्य साथ लायें। यदि आपने अभी तक अपना परिचय-पत्र न बनवाया हो तो कृपया उसे यथाशीघ्र पटल कार्यालय से बनवाने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि मतदान स्थल पर "मोबाइल फोन" को प्रयोग करने से मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 10 एवं 11 जून, 2016 को उक्त निर्वाचनों में मतदान के दिन मतदान स्थल "तिलक हाल" विधान भवन लखनऊ में अपने साथ मोबाइल फोन न लायें।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1063(1)/वि0स0/प0का0/42(प)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को-

1-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली,

2-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने जिले के सम्बन्धित माननीय सदस्यगण विधान सभा को अपने स्तर से सूचित कर इस सचिवालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें,

4-मार्शल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

अनिल कुमार सिंह,
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0-39 विधान सभा (65)-6-6-2016-500 प्रतियां।